

• विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना क्रं. 293/2000, दिनांक 25 अप्रैल, 2001 म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम "विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000" है।
(दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।
2. इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथा संशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद् द्वारा, तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अधीन रहते हुए समस्त नियमों में "मध्यप्रदेश" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आये हो शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।
3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

क्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973)
2	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम 1978 (क्रं. 20 सन् 1978) के संबंध में।
3	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1998

(छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.04.2001 पृष्ठ 146 (1) पर प्रकाशित)

विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना क्रं. 293/2000, दिनांक 25 अप्रैल, 201- म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

- (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम "विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000" है।
(दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।
- इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर, यथासंशोधित ऐसे नियम जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद् द्वारा, तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्याधीन रहते हुए समस्त नियमों के "मध्यप्रदेश" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आयें हों शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई भी कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

अनुसूची

क्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
2	भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 34 सन् 1998)

(छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.04.2001 पृष्ठ 145-146 पर प्रकाशित)